माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : मा/5/2018/2120

दिनांक : 5-01-2018

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
(माध्यमिक शिक्षा प्रथम/द्वितीय)
....

प्रायोगिक परीक्षा–2018
परीक्षा आवश्यक

महोदय/महोदया,

लेख है कि बोर्ड परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु दिनांक 16.01.2017 को माननीय शिक्षा मंत्रीजी की अध्यक्षता में आयोजित **उच्चाधिकार समिति** की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.3(6) शिक्षा–6/2017 दिनांक 06.02.2017 एवं क्रमांक प.3(7) शिक्षा–6/2015 दिनांक 14.02.2017 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं कि समस्त राजकीय विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों को परीक्षक एवं वीक्षण का कार्य अनिवार्य रूप से सम्पादित करने, परीक्षा संबंधित आवंटित कार्य को अस्वीकार करने या नहीं करने पर संबंधित परीक्षक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने तथा समस्त अध्यापकों का डाटा शाला दर्पण से लेकर उत्तर–पुस्तिका की जांच हेतु अनिवार्यतः आवंटन करने तथा इसे ड्यूटी का अनिवार्य हिस्सा माना जायेगा, के आदेश जारी किये गये।

वर्ष 2018 की प्रायोगिक परीक्षाओं के संचालन बाबत् निम्न निर्देश/जानकारी प्रेषित हैं :–

1. कम्प्यूटर विज्ञान (03) व गृह विज्ञान (18) की प्रायोगिक परीक्षाऐं बोर्ड अधिवेशन दिनांक 08.05.2015 के निर्णय संख्या 24 के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा नियुक्त परीक्षकों द्वारा करवाई जानी है। इस हेतु विद्यालयों के युग्म (बैच) बनाकर बोर्ड द्वारा आपको यथासमय प्रेषित किय जायेंगे, जिसमें परीक्षक संख्या, विद्यालय, विद्यालय का नाम, परीक्षार्थियों की संख्या आदि अंकित रहेगी। प्रत्येक बैच के लिये एक परीक्षक आपके स्तर पर नियुक्त किया जाना है। कृपया बोर्ड द्वारा बनाये गये बैच एवं जिस बैच में जो विद्यालय आवंटित किये गये हैं, उन्हीं के अनुसार परीक्षाऐं सम्पादित करवाई जावे। इनमें आपके स्तर पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावे। **गत वर्षों तक कम्प्यूटर विज्ञान विषय के अन्तर्गत तीन विषय (विषय कोड 3, 4, 5) निर्धारित थे।** इस वर्ष केवल विषयकोड 03 ही निर्धारित है।

   उक्त दोनों विषयों में परीक्षक नियुक्तियाँ आपके स्तर पर की जानी हैं। उक्त के अलावा शेष सभी विषयों में नियुक्तियाँ बोर्ड द्वारा की जायेगी। परीक्षक नियुक्ति हेतु प्रथमतः शाला दर्पण पर पंजीकृत राजकीय शिक्षकों को, इसके पश्चात् सेवारत कॉलेज शिक्षा, सेवानिवृत्त स्कुल/कॉलेज शिक्षा के शिक्षकों को नियुक्त किया जावे।

   आयुक्त माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर के सुझावानुसार/परीक्षा समिति के निर्णयानुसार कम्प्यूटर शिक्षा में शाला दर्पण पर पंजीकृत राजकीय शिक्षकों की कमी के दृष्टिगत आपके अधीनस्थ राजकीय विद्यालयों में M.Tech./C-Level/B.E./M.C.A./B.Level/M.Sc./B.Tech./B.Sc./A-Level/ PGDCA/ BCA डिग्रीधारी शिक्षक उपलब्ध है, चाहे उनकी नियुक्ति अन्य विषय में हो अथवा अन्य विषयों का अध्यापन करवा रहें हों। ऐसे शिक्षकों को कम्प्यूटर विज्ञान विषय की प्रायोगिक परीक्षा लेने हेतु नियुक्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कमी होने पर जिले के राजकीय इन्जीनियरिंग महाविद्यालय तथा पोलोटैक्निक महाविद्यालय/अन्य व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा संस्थान में नियमित रूप से कार्यरत व्याख्याताओं को भी कार्य आवंटन किया जा सकता है।

   यदि परीक्षकों की न्यूनता हो तो एक परीक्षक को दो बैच भी आवंटित किये जा सकेगें। विशेष स्थिति में इसके पश्चात् भी कमी रहने पर स्वविवेक से परिस्थिति अनुसार अधिक बैच आवंटन का निर्णय जिला शिक्षा अधिकारी पर लिया जा सकेगा यदि किसी परीक्षक को एक से अधिक युग्म (बैच) आवंटित किये जाते हैं तो उन्हें निर्देश दिये जावे कि प्रत्येक बैच के लिये बोर्ड द्वारा आवंटित परीक्षक क्रमांक के अनुसार अलग–अलग परीक्षाऐं आयोजित करवाकर अलग–अलग अंक भेजें। नियुक्त परीक्षकों को बोर्ड द्वारा नियमानुसार भुगतान देय होगा।

2. इस वर्ष बोर्ड अधिवेशन के निर्णयानुसार परीक्षकों की नियुक्ति जिला स्तर पर यानि जिले में ही की जानी है, परन्तु किसी भी परीक्षक को उसी विद्यालय में जहाँ वह कार्यरत है वहाँ नियुक्त नहीं किया जावे। यथा सम्भव स्थान परिवर्तित किये जावे।

www.rajteachers.com

3. उच्च माध्यमिक परीक्षा 2018 के नियमित परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाऐं **18 जनवरी से 17 फरवरी, 2018 तक** तथा स्वयंपाठी परीक्षार्थियों की प्रायोगिक **परीक्षाऐं 17 फरवरी से 23 फरवरी, 2018 के मध्य** होगी।

4. प्रायोगिक परीक्षा सामग्री विद्यालयों द्वारा दिये गये वितरण केन्द्रों पर यथासमय प्रेषित कर सूचना बोर्ड वेबसाईट पर अपलोड की जावेगी जिसे संबंधित विद्यालय प्रधान प्रदत्त पासवर्ड से Login कर प्राप्त कर लें।

5. स्वयंपाठी परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाओं की सूचना यथासमय उनके आवेदित पते पर प्रेषित की जायेगी।

6. परीक्षाओं के सुसंचालन हेतु निरीक्षण दल/उड़नदस्ते गठित किये जावेगें। अतः गठित उडनदस्तों को वांछित सहयोग प्रदान करावें एवं समय–समय पर चाही गई जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आप भी समय–समय पर प्रायोगिक परीक्षाओं का निरीक्षण करने का कष्ट करें।

7. नियत प्रक्रियानुसार सभी विद्यालयों, परीक्षकों द्वारा किस दिनांक को परीक्षा आयोजित की जायेगी इसकी सूचना बोर्ड के साथ–साथ आपको भी देंगें। अतः कार्यालय में इसका विधिवत रेकॉर्ड संधारित करवाने की व्यवस्था करें ताकि निरीक्षण के समय तत्काल निरीक्षण दल व उडनदस्तों को जानकारी दी जा सके।

8. प्रायोगिक परीक्षा के दौरान विद्यालय में नियत तिथि पर **अनुपस्थित** रहने वाले परीक्षार्थी की परीक्षा उसी परीक्षक द्वारा उसी विद्यालय में लिए जा रहे अन्य बैच के साथ शाला प्रधान की अनुमति से कराई जा सकेगी। किसी भी स्थिति में अन्य परीक्षक अथवा अन्य विद्यालय में परीक्षा की अनुमति नहीं दी जाएगी, अन्यथा स्थिति में परीक्षार्थी को प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित मानकर परिणाम जारी कर दिया जाएगा।

9. बोर्ड परीक्षा 2018 की उ.मा./वरि.उपा. परीक्षा के परीक्षार्थियों के नामांक एवं विवरण की नामावली (Nominal Roll) बोर्ड की वेबसाईट www.rajeduboard.nic.in पर अपलोड की जायेगी। संबंधित शालाप्रधान प्रदत्त पासवर्ड से Login कर जानकारी प्राप्त कर लें।

10. समस्त नियुक्त परीक्षक, परीक्षा की निर्धारित तिथि की सूचना आवश्यक रूप से बोर्ड के नियन्त्रण कक्ष/फैक्स पर देगें व उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन वहां न कर उन्हें आवंटित एक बैच की परीक्षा समाप्ति के तीन दिवस में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर अंकों के पर्ण/प्रतिपर्ण व उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल उन्हें आवंटित बैच की परीक्षा समाप्ति के 7 दिवस में निदेशक (गोपनीय) के नाम भिजवाएंगे। वर्ष–2018 की प्रायोगिक परीक्षा में नियुक्त परीक्षक अपना पारिश्रमिक बिल ऑनलाईन भर प्रेषित करेंगे।

11. परीक्षा अवधि में आवश्यक सूचनाऐं बोर्ड वेबसाईट पर समय–समय पर अपलोड की जावेगी। अतः सभी शालाप्रधान नियमित रूप से वेबसाइट देखें।

12. गत वर्षों में यह देखा गया है कि अनेकों विद्यालयों, परीक्षकों आदि द्वारा परीक्षाओं के बाद अनेकों प्रकार की शिकायतें प्रेषित की जाती हैं जिससे यथोचित कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है एवं शिकायत के आधार ही प्रभाव में नहीं रहते हैं। अतः यदि विद्यालयों/परीक्षकों के विरूद्ध यदि किसी प्रकार की कोई अनियमितता अथवा नियम विरूद्ध आचरण/कार्यवाही की शिकायत है तो ऐसी शिकायत/सूचना विवरण सहित परीक्षा पूर्व/परीक्षा दौरान बोर्ड को फैक्स से सूचित करें। परीक्षा परिणाम घोषणा उपरान्त ऐसी सूचनाओं, शिकायतों पर विचार करना सम्भव नहीं होगा एवं दुर्भावना वश शिकायत करना माना जावेगा।

13. प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित वांछित जानकारी हेतु दिनांक 15.01.2018 से प्रायोगिक परीक्षा समाप्ति तक नियंत्रण कक्ष दूरभाष सं. 0145–2620739, 2623646 व 98751–74842 एवं फैक्स संख्या 0145–2426994 पर कार्यरत रहेगा।

अतः आप कृपया प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित समस्त कार्यवाही करवाने का कष्ट करें ताकि समयबद्ध सुचारू रूप से परीक्षाऐं समपन्न हो सके।

भवदीया,

www.rajteachers.com

विशेषाधिकारी (परीक्षा)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. उप शासन सचिव, शिक्षा ग्रुप–6, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान।

/ निदेशक (गोपनीय)